पंजाब नैशनल बैंक
.....भरोसे का प्रतीक

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरूग्राम, प्लॉट नं. 5, सैक्टर–32, इन्सटीट्यूशनल एरिया, गुड़गाँव, ई–मेल cs8230@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नेशनल बैंक,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	खाते का नाम	माँग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)
1	श्री अमरजोत सिंह बाथ, मकान नं. 504, 5वां तल, टावर–3, सुशांत ईस्टेट, सेक्टर–52, गुरुग्राम–122003	21-06-2021 / 22-10-2021	रिहायशी मकान नं. 504, 5वां तल, टावर–3, सुशांत ईस्टेट, सेक्टर–52, गुरुग्राम में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अमरजोत सिंह बाथ के नाम पर है। क्षेत्रफल 1583 वर्ग फीट	₹ 15,17,798.64 दिनांक 20.05.2021 तक और भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि

दिनांक : 22.10.2021, स्थान : गुरूग्राम — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : गली सं. 1 सेक्टर–66, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर–201301 ईमेल : BO7991@MAIL.PNB.CO.IN

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

श्री जय करण सिंह फ्लेट संख्या 5ए: रॉयल अपार्टमेंट्स, सेक्टर–सिग्मा 04 ग्रेटर नोएडा यूपी–201308 दिनांक : 06.09.2021

प्रिय महोदय,

संदर्भ : खाता संख्या 799100NC00000126 और 799100NC00000418 श्री जय करण सिंह और श्रीमती असपाल कौर ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया

आप, श्री जय करण सिंह और श्रीमती जसपाल कौर निवासी फ्लेट संख्या 5ए: रॉयल अपार्टमेंट्स, सेक्टर–सिग्मा 04 ग्रेटर नोएडा ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	गृह ऋण	रु. 6000000.00	रु. 6357874.00
2.	सजाने के लिए गृह ऋण	रु. 500000.00	रु. 514211.50
		रु. 6500000.00	**रु. 6872085.50**

किस्त/ब्याज/मूलधन ऋण का भुगतान न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश अनुसार खाते/ओं को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक को **रुपये 68,72,085.50 (रुपये अड़सठ लाख बहत्तर हजार पचासी और पचास पैसा मात्र)** दिनांक 31.03.2021 तक की राशि भविष्य के ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक बकाया है (इसके बाद ''प्रत्याभूत ऋण'' के रूप में संदर्भित)। उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया को प्रत्याभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित संपत्तियों/परिसंपत्तियों के संबंध में प्रत्याभूत हित सृजित किए हैं :

क्र.सं.	सुविधा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	गृह ऋण	समान बंधक फ्लैट सं. 5ए, रॉयल अपार्टमेंट्स, सेक्टर सिग्मा 04 ग्रेटर नोएडा 74.00

हम एतद् द्वारा आपको रुपये 68,72,085.50 (रुपये अड़सठ लाख बहत्तर हजार पचासी और पैसा पचास मात्र) अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान तक की राशि का भुगतान करने का आहवान करते हैं। असफल होने पर, कानून के त हत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'') के रूप में संदर्भित) की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्ति/यों का विवरण आपके द्वारा प्रत्याभूत ऋण के रूप में भुगतान न होने की स्थिति में निम्न प्रकार हैं।

आपका ध्यान एतद् द्वारा आपके लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि आप प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकें।

कृपया ध्यन दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के संदर्भ में, आप इस सूचना के प्राप्त होने के बाद, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के साधारण प्रकार के अलावा) द्वारा बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उल्लेखित किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

आपको यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए गए इस सांविधिक निषेधाज्ञ/संयम का कोई भी उल्लंघन अपराध है।

यदि किसी भी कारण से, प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को व्यापार के साधारण प्रकार में बेचा या पट्टे पर दिया जाता है, तो बिक्री आय या वसूली गई आय बैंक के साथ जमा/प्रेषित किया जाएगा। आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित लेखा–जोखा प्रस्तुत करना होगा।

✻ अन्य प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के लिए हमारे अपने अधिकार सुरक्षित हैं।

कृपया इस सूचना के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रियता से बचें।

अनुपालन न करने की स्थिति में, आपकी लागत और परिणामों पर आवश्यक कार्रवाई होगी।

दिनांक : 22.10.2021, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सर्कल सस्त्रा नोएडा

STATEMENT OF (STANDALONE & CONSOLIDATED) UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021

(Rs.in Lakh)

S. No.	Particulars	Standalone				
		For the Quarter Ended on 30-09-2021	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Quarter Ended on 30-09-2020	For the Half Year Ended on 30-09-2021	For the Half Year Ended on 30-09-2020
1	Total income from Operations	16,769	8,672	13,037	25,440	17,310
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	1,006	(952)	393	55	(1,434)
3	Net Profit/(loss) for the period (before Tax after Exceptional items)	1,006	(952)	393	55	(1,163)
4	Net Profit/(loss) for the period (after Tax after Exceptional items)	823	(503)	295	321	(809)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(loss) for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	850	(476)	311	375	(776)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	1,441	1,437	1,434	1,441	1,434
7	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (For continuing operations)					
	1. Basic	5.73	(3.50)	2.06	2.23	(5.65)
	2. Diluted	5.67	(3.50)	2.04	2.21	(5.65)

S. No.	Particulars	Consolidated				
		For the Quarter Ended on 30-09-2021	For the Quarter Ended on 30-06-2021	For the Quarter Ended on 30-09-2020	For the Half Year Ended on 30-09-2021	For the Half Year Ended on 30-09-2020
1	Total income from Operations	16,769	8,672	13,037	25,440	17,310
2	Net Profit/(loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	1,050	(961)	429	90	(1,436)
3	Net Profit/(loss) for the period (before Tax after Exceptional items)	1,050	(961)	429	90	(1,165)
4	Net Profit/(loss) for the period (after Tax after Exceptional items)	868	(512)	332	355	(810)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(loss) for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	895	(485)	348	409	(777)
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	1,441	1,437	1,434	1,441	1,434
7	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (For continuing operations)					
	1. Basic	6.04	(3.57)	2.32	2.47	(5.67)
	2. Diluted	5.67	(3.57)	2.30	2.21	(5.67)

Note:

1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 27th October, 2021.The financial results for the quarter and Six Months ended September 30,2021 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation,2015. The full format of the quarterly financial results is available on the stock exchange websites. (URL-www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on Company's website at https://www.orientbell.com.
3. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).
4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

For and on behalf of the Board of Directors of Orient Bell Limited
Madhur Daga
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 27th October 2021

Orient Bell Limited

CIN: L14101UP1977PLC021546
Registered Office : 8, Industrial Area, Sikandrabad - 203205, Dist. Bulandshahr, U. P.
Corporate Office : Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046
+91-11-47119100 | investor@orientbell.com | www.orientbell.com

orientbell tiles Stay Safe. Stay Inside — #WearAMask

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अब्दुल गफ्फार उर्फ अब्दुल गफ्फार और चमन** को **27.08.2019** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**HHLLAJ00271579** की राशि **रू.15,24,484/- (रुपए पंद्रह लाख चौबीस हजार चार सौ चौरासी मात्र)** और **26.08.2019** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.10.2021** को संपत्ति पर **आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.15,24,484/- (रुपए पंद्रह लाख चौबीस हजार चार सौ चौरासी मात्र) 26.08.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं. एम-315 मापित 42.69 स्के.मी.(कवर्ड एरिया 33.07 स्के.मी.) ब्लॉक एम में तल मंजिल पर बिना रूफ राइट्स , सेक्टर-23संजय नगर, गाज़ियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश

संपत्ति निम्नुसार परिबद्ध है:

पूर्व : मकान नं- 318 — **पश्चिम : मकान नं- 314**
उत्तर :मकान नं- 334 — **दक्षिण : मकान नं- 313**

दिनांक :25.10.2021
स्थान :गाज़ियाबाद

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

SASTRA DIVISION, 3rd FLOOR, EAST WING, PLOT NO. 4, SEC. 10, DWARKA NEW DELHI (email-horecovery@pnb.co.in) **Date : 05.10.2021**

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS PASSED IN PROCEEDINGS CONDUCTED AT SYNDICATE ROOM, HEAD OFFICE ON 23.09.2021

M/s Ghasal Farms (Rs. 1.38 Crores) CS: Jaipur- Ajmer / ZS: Jaipur
Date of NPA : 31.07.2019

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID.BC.22/20.16.003/15-16 dated July 01, 2015, a meeting of the Committee for Identification of Willful Defaulters of the Bank was held on 09.07.2021. The Identification Committee concluded that events of willful default in the Borrower's account(s) had occurred and gave its approval for issuance of Show Cause notice for identifying the following person(s) as wilful defaulters:

1. M/s Ghasal Farms (Borrower) 2. Sh. Ajay Choudhary (Proprietor)

Accordingly, Show Cause notice of 15 days was issued on 12.07.2021 to the above Borrower i.e. M/s Ghasal Farms and its proprietor responsible for managing the affairs of the Borrower and involved in events of default. They were informed, if they so desire, they can make a representation to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they be not classified as wilful defaulter. Inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by the Borrower/ Proprietor.

The Identification Committee in its meeting held on 23.09.2021, after due consideration of the facts on record observed that the Borrower and its above named proprietor defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and the said persons, involved in events of default, are fit to be identified as wilful defaulters on the following ground(s) specified in above mentioned Master Circular of RBI:

Siphoning of Funds

Borrower has disposed off stock without permission of the bank and sales proceeds have not been credited in the cash credit account. Thus, siphoned off the bank funds.

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS:

The Identification Committee, headed by the Executive Director and consisting of other members i.e. Chief General Managers and Dy. General Manager of the Bank found that the charges against the Borrower and its above named proprietor stand proved for the reasons and facts stated above and no representation/reply whatsoever was received from the said person(s) rebutting the charges.

Therefore, the said Committee recorded the fact of wilful default committed by the above persons mentioned at serial nos. 1 to 2 and identified them as "Wilful Defaulters", for the cogent reasons mentioned above. However, the Committee members directed that the borrower and its above named proprietor are free to make a written representation against the order of identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of this order to the Review Committee headed by the MD & CEO of the Bank at the following address: Punjab National Bank, SASTRA Division, Corporate Office, 3rd Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi, PIN: 110075.

The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to send this **ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS** under his signature.

(Ashok Kumar Mishra)
Member of Identification Committee

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank

SASTRA DIVISION, 3rd FLOOR, EAST WING, PLOT NO. 4, SEC. 10, DWARKA NEW DELHI (email-horecovery@pnb.co.in) **Date : 05.10.2021**

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS PASSED IN PROCEEDINGS CONDUCTED AT SYNDICATE ROOM, HEAD OFFICE ON 23.09.2021

M/s Ghasal Agro Industries (Rs. 1.30 Crores) CS: Jaipur- Ajmer / ZS: Jaipur
Date of NPA : 31.07.2019

In terms of RBI Master Circular no. DBR. No. CID.BC.22/20.16.003/15-16 dated July 01, 2015, a meeting of the Committee for Identification of Willful Defaulters of the Bank was held on 09.07.2021. The Identification Committee concluded that events of willful default in the Borrower's account(s) had occurred and gave its approval for issuance of Show Cause notice for identifying the following person(s) as wilful defaulters:

1. M/s Ghasal Agro Industries (Borrower) 2. Sh. Tara Chand Choudhary (Proprietor)

Accordingly, Show Cause notice of 15 days was issued on 12.07.2021 to the above Borrower i.e. M/s Ghasal Agro Industries and its proprietor responsible for managing the affairs of the Borrower and involved in events of default. They were informed, if they so desire, they can make a representation to the Bank within 15 days from receipt of notice, as to why they be not classified as wilful defaulter. Inspite of service of the said show cause notice(s), no reply/representation was made by the Borrower/Proprietor.

The Identification Committee in its meeting held on 23.09.2021, after due consideration of the facts on record observed that the Borrower and its above named proprietor defaulted in payment/repayment obligations to the Bank and the said persons, involved in events of default, are fit to be identified as wilful defaulters on the following ground(s) specified in above mentioned Master Circular of RBI:

Siphoning of Funds

Borrower has disposed off stock without permission of the bank and sales proceeds have not been credited in the cash credit account. Thus, siphoned off the bank funds.

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS:

The Identification Committee, headed by the Executive Director and consisting of other members i.e. Chief General Managers and Dy. General Manager of the Bank found that the charges against the Borrower and its above named proprietor stand proved for the reasons and facts stated above and no representation/reply whatsoever was received from the said person(s) rebutting the charges.

Therefore, the said Committee recorded the fact of wilful default committed by the above persons mentioned at serial nos. 1 to 2 and identified them as "Wilful Defaulters", for the cogent reasons mentioned above. However, the Committee members directed that the borrower and its above named proprietor are free to make a written representation against the order of identification Committee, within a period of 15 days from the date of receipt of this order to the Review Committee headed by the MD & CEO of the Bank at the following address: Punjab National Bank, SASTRA Division, Corporate Office, 3rd Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi, PIN: 110075.

The undersigned is the member of the Identification Committee constituted in consonance with the RBI directives and the Identification Committee has authorized the undersigned to send this **ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILLFUL DEFAULTERS** under his signature.

(Ashok Kumar Mishra)
Member of Identification Committee

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **साधना अग्रवाल, पवन कुमार और उगरसैन एजुकेशन सोसाइटी** को **31.05.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOI00376311** की राशि **रू.1,49,19,808.85/- (रुपए एक करोड़ उनचास लाख उन्नीस हजार आठ सौ आठ और पचासी पैसे मात्र)** और **29.05.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **25.10.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,49,19,808.85/- (रुपए एक करोड़ उनचास लाख उन्नीस हजार आठ सौ आठ और पचासी पैसे मात्र) 29.05.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

जमीन/संपत्ति के सभी भाग और खंड के साथ वर्तमान और /अथवा भविष्य की संरचनाएं, इमारत, फर्निचर, फिक्सचर, फिटींग्स, वहा पर है और/अथवा प्लान्ट और मशीनरी स्थापित/स्थापित करना हैऔर/अथवा निर्मित/निर्माणाधिन और उधारकर्ताओं के आवासीय संपत्ति का प्लॉट नं. 2396, तल मंजिल शामिल, जमीन मापित एरिया 3525 स्के.फीट यानि 391.66 स्के.यार्डस, सेक्टर 9 में स्थित, अर्बन एस्टेट, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरिदाबाद-121001,हरियाणा में, सभी वर्तमान और/अथवा भविष्य के अधिकार, टाइटल और इंट्रेस्ट जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार — **पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार — **दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक :25.10.2021
स्थान : फरिदाबाद

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : गली सं. 1 सेक्टर–66, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर–201301 ईमेल : BO7991@MAIL.PNB.CO.IN

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

श्री ललित कुमार बोयाला और श्रीमती राजकुमारी बोयाला बी–2/257 दूसरा तल पॉकेट 1 पश्चिम विहार दिल्ली–110063 दिनांक : 26.08.2021

प्रिय महोदय,

संदर्भ : खाता संख्या 7991009300000154 श्री ललित कुमार बोयाला और श्रीमती राजकुमारी बोयाला ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया

आप, श्री ललित कुमार बोयाला और श्रीमती राजकुमारी बोयाला निवासी बी–2/257 दूसरा तल पॉकेट 1 पश्चिम विहार दिल्ली ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	अतिदेय	रु. 7500000.00	रु. 6906928.80
		रु. 7500000.00	रु. 6906928.80

किस्त/ब्याज/मूलधन ऋण का भुगतान न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश अनुसार खाते/ओं को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक को **रुपये 6906928.80 (रुपये उनहत्तर लाख छह हजार नौ सौ अट्ठाईस और अस्सी पैसा मात्र)** दिनांक 31.03.2021 तक की राशि भविष्य के ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक बकाया है (इसके बाद ''प्रत्याभूत ऋण'' के रूप में संदर्भित)। उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया को प्रत्याभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित संपत्तियों/परिसंपत्तियों के संबंध में प्रत्याभूत हित सृजित किए हैं :

क्र.सं.	सुविधा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	अतिदेय	समान बंधक बी–2/257 दूसरा तल पॉकेट–1 पश्चिम बिहार दिल्ली

हम एतद् द्वारा आपको रुपये 6906928.80 (रुपये उनहत्तर लाख छह हजार नौ सौ अट्ठाईस और अस्सी पैसा मात्र) अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान तक की राशि का भुगतान करने का आहवान करते हैं। असफल होने पर, कानून के त हत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'') के रूप में संदर्भित) की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्ति/यों का विवरण आपके द्वारा प्रत्याभूत ऋण के रूप में भुगतान न होने की स्थिति में निम्न प्रकार हैं।

आपका ध्यान एतद् द्वारा आपके लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि आप प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ा सकें।

कृपया ध्यन दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के संदर्भ में, आप इस सूचना के प्राप्त होने के बाद, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के साधारण प्रकार के अलावा) द्वारा बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उल्लेखित किसी भी प्रत्याभूत संपत्ति को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

आपको यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत दिए गए इस सांविधिक निषेधाज्ञ/संयम का कोई भी उल्लंघन अपराध है।

यदि किसी भी कारण से, प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को व्यापार के साधारण प्रकार में बेचा या पट्टे पर दिया जाता है, तो बिक्री आय या वसूली गई आय बैंक के साथ जमा/प्रेषित किया जाएगा। आपको ऐसी प्राप्ति/आय का उचित लेखा–जोखा प्रस्तुत करना होगा।

✻ अन्य प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के लिए हमारे अपने अधिकार सुरक्षित हैं।

कृपया इस सूचना के तहत इस मांग का पालन करें और सभी अप्रियता से बचें।

अनुपालन न करने की स्थिति में, आपकी लागत और परिणामों पर आवश्यक कार्रवाई होगी।

दिनांक : 23.10.2021, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सर्कल सस्त्रा नोएडा

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालय : गली सं. 1 सेक्टर–66, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर–201301 ईमेल : BO7991@MAIL.PNB.CO.IN

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

श्रीमती पायल सिन्हा फ्लैट सं. 20084 टॉवर–20 एटीएस एडवांटेज अहिंसा खंड –1, इंद्रापुरम गाजियाबाद, उ.प्र.–201010 दिनांक : 06.09.2021

प्रिय महोदय,

संदर्भ : खाता संख्या 799100NC00000302 और 799100NC00000515 श्री निर्भय कुमार और श्रीमती पायल सिन्हा ने ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया

आप, श्री निर्भय कुमार और श्रीमती पायल सिन्हा निवासी फ्लैट सं. 20084 टॉवर–20 एटीएस एडवांटेज अहिंसा खंड –1, इंद्रापुरम गाजियाबाद ने निम्नलिखित ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया है।

क्र.सं.	सुविधा	सीमा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	गृह ऋण	रु. 7944000.00	रु. 8306666.09
2.	सजाने के लिए गृह ऋण	रु. 2500000.00	रु. 2513111.00
		रु. 10444000.00	रु. 10819777.09

किस्त/ब्याज/मूलधन ऋण का भुगतान न होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश अनुसार खाते/ओं को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक को **रुपये 10819777.09 (रुपये एक करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार सात सौ सतहत्तर और नौ पैसा मात्र) दिनांक 01.05.2021** तक की राशि भविष्य के ब्याज के साथ पूर्ण भुगतान तक बकाया है (इसके बाद ''प्रत्याभूत ऋण'' के रूप में संदर्भित)। उपरोक्त सुविधाओं के तहत बकाया को प्रत्याभूत करने के लिए, आपने अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित संपत्तियों/परिसंपत्तियों के संबंध में प्रत्याभूत हित सृजित किए हैं :

क्र.सं.	सुविधा	दिनांक 31.03.2021 को शेष बकाया
1.	गृह ऋण	समान बंधक फ्लैट सं. 20084 टॉवर–20 एटीएस एडवांटेज अहिंसा खंड –1, इंद्रापुरम गाजियाबाद

हम एतद् द्वारा आपको **रुपये 10819777.09 (रुपये एक करोड़ आठ लाख उन्नीस हजार सात सौ सतहत्तर और नौ पैसा मात्र)** अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ इस सूचना की दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान तक की राशि का भुगतान करने का आहवान करते हैं। असफल होने पर, कानून के त हत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनिर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'') के रूप में संदर्भित) की धारा 13(4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। बैंक द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत परिसंपत्ति/यों का विवरण आ